न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सं0 147/2017

1. लक्ष्मण मीना पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद मीना निवासी ग्राम पंचायत कमालपुर तहसील महवा जिला दौसा

..अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकरी दौसा (राज0)
2. जिला रसद अधिकारी दौसा। ..रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनिमय आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मैसर्स श्री लक्ष्मणराम मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कमालपुर तहसील महवा मुकदमा नं0 156/2017

उपस्थित: 1.श्री सांवलराम मीना अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक: 28.01.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 26.10.2017 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। बहस उभय पक्ष की सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि अपीलांट ग्राम पंचायत कमालपुर तहसील महवा जिला दौसा के उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र सं0 28/2005 है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार वर्तमान में रसद सामग्री का वितरण पोस मशीन द्वारा किया जा रहा है। जिसमें उपभोक्ताओं के अंगूठे एवं आधारकार्ड संख्या मिलान होने पर रसद सामग्री प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि माह नवम्बर 2016 में प्रार्थी की पोस मशीन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण उक्त मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया जाना संभव नहीं था। अतः प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.11.2016 को उक्त मशीन को ठीक करवाने हेतु जमा करवा दिया गया। जिसकी सूचना प्रार्थी अपीलांट द्वारा जिला रसद अधिकारी दौसा को लिखित में दे दी गई। चूंकि उस दौरान उपभोक्ता सप्ताह होने के कारण उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी दौसा कार्यालय द्वारा दूरभाष पर प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 28.11.2016 से 30.11.2016 तक 24 क्विंटल गेहूं एवं 150 लीटर केरोसीन का वितरण उपभोक्ताओं को प्रमाणित वितरण रजिस्टर में कर दिया जिस बाबत प्रार्थी द्वारा डीएसओ दौसा कार्यालय को भी सूचित कर दिया गया एवं वितरण का इन्द्राज उपभोक्ताओं के राशनकार्ड में भी किया गया। किन्तु राजनैतिक दबाव के कारण प्रवर्तन निरीक्षक

दौसा द्वारा दिनांक 11.07.2017 को प्रार्थी की दुकान की जांच की गई एवं दिनांक 12.07.2017 को प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया जाकर दिनांक 13.07.2017 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.07.2017 को दे दिया गया। किन्तु उक्त जवाब को कंसीडर किये बिना ही आदेश दिनांक 26.10.2017 के द्वारा के प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम कमालपुरा तहसील महवा के उचित मूल्य दुकानदार श्री लक्ष्मणराम मीना की दुकान का संयुक्त जांच दल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 11.07.2017 को किया जाकर दिनांक 12.07.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर दिनांक 13.07.2017 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर निम्न अनियमितता पाई गई:–

1. मौके पर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा वास्ते जांच स्टॉक रजिस्टर गेहूँ, केरासीन व चीनी उपलब्ध नहीं कराये गये। जानकारी लेने पर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बताया गया कि पॉश मशीन द्वारा वितरण कार्य शुरू होने के बाद से उसके द्वारा किसी भी प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों का संधारण नही किया जा रहा है।
2. दुकान के बाहर वांछित सूचनाओं यथा दुकान का नाम/दुकान खोलने का समय/विभागीय अधिकारी के नाम/मोबाइल नम्बर/मूल्य व स्टॉक सूची, बॉर्ड सूचना पट्ट इत्यादि का यथा स्थान पर प्रदर्शन/अंकन नहीं होना पाया गया।
3. दुकान के बाहर एनएफएसए ई–सूची की प्रति नहीं पायी गई ना ही उक्त सूची का निर्देशों के बावजूद दुकान पर चस्पा होना पाया गया।
4. निर्देशों के बावजूद भी गत माह का पॉश मशीन से राशन सामग्री का वितरण प्रिन्ट उपभोक्ताओं के अवलोकनार्थ मौके पर नहीं रखा पाया गया।
5. गत माहों का मासिक विवरणों की प्रतियां मांगने पर वास्ते जांच उपलब्ध नहीं करायी गई।
6. वितरण की गई राशन सामग्री का आमद और वितरण का ग्राम सभा बैठक में निर्देशों के बाद भी सत्यापन नही कराया जाना पाया गया।
7. जांच के दौरान यूनिट रजिस्टर मांगने पर उपलब्ध नहीं कराया गया।
8. मौके पर दुकान का भौतिक सत्यापन से प्राप्त राशन सामग्री गेहूँ, केरोसीन व चीनी की मात्रा का थोक विक्रेता गेहूँ, केरोसीन व चीनी से प्राप्त आपूर्ति से मिलान करने पर 2432.6 किलोग्राम गेहूँ कम पाया गया व 11.98 किग्रा चीनी अधिक पायी गई तथा 350 लीटर केरोसीन कम पाया गया।

इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शत संख्या 5, 6, 7, 8, 10 व 18 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का डीलर द्वारा स्पष्ट उल्लंधन किया गया है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब में भौतिक सत्यापन में कम पायी गई राशन सामग्री 2432.6 किलोग्राम गेहूँ , 350 लीटर केरोसीन एवं अधिक पायी गई 11.98 किग्रा चीनी के सम्बन्ध में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय कलेक्टर दौसा

नहीं किया गया है। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा की गई अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए अपील स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official